

पश्चिम बंगाल "अपराजिता" बलात्कार वरिधी वधियक

प्रलमिस के लयि:

[बलात्कार अपराध, आपराधकि कानून \(संशोधन\) अधनियम 2013, भारतीय नयाय संहति \(BNS\) 2023, भारतीय नागरकि सुरकषा संहति \(BNSS\) 2023](#) और [लैगकि अपराधों से बालकों का संरकषण अधनियम, 2012 \(POCSO\), सर्वोच्च नयायालय](#) ।

मेन्स के लयि:

बलात्कार अपराध, संबंघति चुनौतयिँ और आगे की राह

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

पश्चिम बंगाल वधिनसभा ने अपराजिता महला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधकि कानून संशोधन) वधियक, 2024 पारति कयि है जसिका उद्देश्य महलाओं के खलाफ हसिा के मुद्दों का समाधान करना है ।

- इसमें मृत्युदंड तथा बलात्कार एवं यौन उत्पीडन के लयि कठोरतम दंड का प्रावधान शामिल है ।

अपराजिता वधियक, 2024 के प्रमुख प्रावधान कया हैं?

- BNS 2023, BNSS 2023 और POCSO 2012 अधनियम में संशोधन का प्रस्ताव:** प्रस्तावति वधियक का उद्देश्य [भारतीय नयाय संहति \(BNS\) 2023, भारतीय नागरकि सुरकषा संहति \(BNSS\) 2023](#) तथा [लैगकि अपराधों से बालकों का संरकषण अधनियम, 2012 \(POCSO\)](#) सहति कई कानूनी प्रावधानों में संशोधन करना है । वधियक के प्रावधान सभी आयु समूहों के उत्तरजीवयिँ और पीडतिँ पर लागू होंगे ।
- बलात्कार के लयि मृत्युदंड:** वधियक में बलात्कार के दोषयिँ के लयि मृत्युदंड का प्रस्ताव कयि गया है, यदइस कृत्य के परिणामस्वरूप पीडतिा की मृत्यु हो जाती है या वह [अचेतावस्था/वेजेटेटवि स्टेट](#) में चली जाती है ।
 - BNS कानून** के तहत बलात्कार के लयि दंड इस प्रकार है: बलात्कार के लयि जुर्माना और न्यूनतम **10 वर्ष का कारावास**; सामूहकि बलात्कार के लयि न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास जसि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है; बलात्कार के ऐसे मामले जनिमें **पीडतिा की मृत्यु हो जाती है अथवा वह अचेतावस्था में पहुँच जाती है, के लयि न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास** या मृत्युदंड ।
- समयबद्ध जाँच और परीकषण:** बलात्कार के मामलों की जाँच **प्रारंभकि रिपोर्ट के 21 दनिँ के भीतर पूरी की जानी चाहयि और परीकषण 30 दनिँ के भीतर पूरा कयि जाना चाहयि** । कसिी वरषिठ पुलसि अधिकारी के लखति औचित्य के साथ ही समय-सीमा में वसितार की अनुमत है ।
 - BNSS कानून** के तहत जाँच और मुकदमे की समय-सीमा FIR की तारीख से **2 महीने** है ।
- फास्ट-ट्रैक नयायालयों की स्थापना:** इसमें **यौन हसिा के मामलों** के त्वरति नपिटारे के लयि **समरपति 52 वशिष नयायालयों** के गठन का भी प्रावधान है ।
- अपराजिता टास्क फोर्स:** वधियक में ज़िला स्तर पर एक वशिष टास्क फोर्स की स्थापना का प्रावधान है, जसिका नेतृत्व पुलसि उपाधीकषक करेंगे तथा जो महलाओं और बच्चों के खलाफ बलात्कार व अन्य अत्याचारों की जाँच के लयि समरपति होगी ।
- बार-बार अपराध करने वालों के लयि कठोर दंड:** इस कानून में बार-बार अपराध करने वालों के लयि आजीवन कारावास का प्रावधान है तथा यद परिस्थतियिँ अनुकूल हों तो मृत्युदंड का भी प्रावधान है ।
- पीडतिँ की पहचान की सुरकषा:** वधियक में कानूनी प्रक्रया के दौरान **पीडतिँ की पहचान की सुरकषा** और उनकी गोपनीयता तथा गरमिा सुनश्चिति करने के प्रावधान शामिल हैं ।
- नयाय में देरी के लयि दंड:** इसमें **पुलसि और स्वास्थय अधकिारयिँ के लयि दंड** का प्रावधान है, जो समय पर कार्रवाई करने में वफिल रहते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं । इसका उद्देश्य नयायकि प्रक्रया में कसिी भी लापरवाही के लयि अधिकारयिँ को जवाबदेह बनाना है ।
- प्रकाशन प्रतबिंध:** वधियक में यौन अपराधों से संबंघति **नयायालय की कारयवाही के अनधकित प्रकाशन** पर कठोर दंड का प्रावधान कयि गया है, जसिके लयि 3 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है ।

अपराजिता वधियक 2024 से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक वैधता:** अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) वधियक, 2024 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता और अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर चर्चा उत्पन्न होती है।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों को **राज्य सूची में सूचीबद्ध मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार** है। हालाँकि आपराधिक कानूनों पर **समवर्ती अधिकार** से जटिलता उत्पन्न होती है। यदि वधियक केंद्रीय कानून को दरकिनार करता है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी।
- **अवास्तविक समय सीमा:** बलात्कार के मामलों की जटिलता और कानूनी व्यवस्था में मौजूदा बैकलॉग को देखते हुए 21 दिनों के भीतर जाँच पूरी करना एक बड़ी चुनौती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें केंद्रीय कानूनों में राज्य संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिये:
 - **1964:** इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की सर्वोच्चता की पुष्टि करते हुए, केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1994 के साथ वरिष्ठाभासी होने के कारण पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 को अमान्य कर दिया।
 - **1960:** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय कानूनों के साथ असंगतता के कारण मध्य प्रदेश कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1958 को रद्द कर दिया।
 - ये मामले राज्य संशोधनों पर केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता पर न्यायापालिका के रुख को रेखांकित करते हैं।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** वधियक के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएँ आ सकती हैं, जिसके लिये कानून प्रवर्तन अवसंरचना में उन्नयन और पुलिस व न्यायिक अधिकारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- **अत्यधिक बोझ वाले न्यायालय:** भारतीय न्यायालयों को अत्यधिक वलिंब का सामना करना पड़ता है, मामलों को हल करने में औसतन 13 वर्ष से अधिक का समय लगता है। यह बैकलॉग त्वरित जाँच के बाद समय पर सुनवाई में बाधा डाल सकता है।
- **अभियुक्त के कानूनी अधिकार:** कानूनी तंत्र अभियुक्त के लिये नष्पिकष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है, जो अपील और दया याचिकाओं के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होने में वलिंब कर सकता है।

//

WB legislation versus existing law

HT

Punishment for rape and murder

WB Bill: Death sentence if the victim dies or is left in a vegetative state

Existing law: Under BNS, if rape results in the victim's death or leaves her in a vegetative state, death penalty is only one of the punishments besides life term or minimum 20 years in jail

Fast-track courts

WB Bill: Establishment of special courts for cases of sexual violence

Existing law: Under a centrally sponsored scheme, the department of justice provides funds to states for setting up fast track special courts for trial of cases relating to sexual offences

Probe deadlines

WB Bill: Investigation must be concluded within 21 days of the initial report

Existing law: Under BNSS, investigation must be concluded within two months of the filing of FIR. For trial, it specifies framing of charge within 60 days from the first hearing and judgment within 30 days (maximum of 60 days) after arguments conclude

Junior doctors continue their protest in Kolkata.

SAMIR JANA/HT

Disclosing victim's identity

WB Bill: Imprisonment of 3 to 5 years

Under BNS: 2 years imprisonment and fine



नोट:

भारत में आपराधिक कानून राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा वनियमिति किया जाता है, क्योंकि यह संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिससे दोनों स्तरों को इस विषय पर कानून बनाने में सक्रम बनाया जाता है।

भारत में बलात्कार से संबंधित कानून क्या हैं?

- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013:** इसे यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी कानूनी रोकथाम के लिये अधिनियमि कया गया था।
 - अधिनियम के तहत बलात्कार के लिये न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बदलकर 10 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहाँ पीड़िता की मृत्यु हो जाती है और वह अचेत अवस्था में चली जाती है, न्यूनतम सजा को वधिवित बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
 - इसके अतिरिक्त आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के लिये मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधानों को नरिधारित करने के लिये अधिनियमि कया गया था।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO):** यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिये बनाया गया था।
 - इस अधिनियम ने सहमति की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया (जो वर्ष 2012 तक 16 वर्ष थी) और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिये सभी यौन गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया, भले ही दो नाबालगों के बीच सहमति मौजूद हो।
 - इस अधिनियम में वर्ष 2019 में भी संशोधन कया गया था ताकि बच्चों की रक्षा, सुरक्षा और गरमा सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न अपराधों हेतु सजा बढ़ाने का प्रावधान कया जा सके।
- **बलात्कार पीड़िता के अधिकार:**
 - **ज़ीरो FIR का अधिकार:** ज़ीरो FIR का अर्थ है कवियक्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है, चाहे घटना किसी भी कषेत्राधिकार में घटित हुई हो।
 - **नशुलक चकितिसा उपचार:** दंड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 357 C के अनुसार, कोई भी नर्जि या सरकारी अस्पताल बलात्कार पीड़ितों के उपचार के लिये शुलक नहीं ले सकता है।
 - **टू-फगिर टेस्ट नहीं:** किसी भी डॉक्टर को मेडिकल जाँच करते समय टू फगिर टेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा।
 - **मुआवज़े का अधिकार:** CrPc की धारा 357A के रूप में एक नया प्रावधान प्रस्तुत कया गया है, जो पीड़ितों को मुआवज़े के रूप में कुछ राशा प्रदान करता है।

महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अत्यधिक घटनाएँ:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध वर्ष 2014 में 3.37 लाख से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.45 लाख हो गए, जो 30% से अधिक की वृद्धि है।
 - अपराध दर (प्रतिलाख महिलाओं पर अपराध) भी वर्ष 2014 में 56.3 से बढ़कर 2022 तक 66.4 हो गई।
- **पतिसत्तात्मक मानसकितता:** समाज में गहनता से व्याप्त पतिसत्ता पुरुष वर्चस्व और अधिकार को बढ़ावा देती है, महिलाओं को वस्तु के रूप में देखती है तथा शत्रुतापूर्ण वातावरण का नरिमाण करती है।
 - यह सांस्कृतिक मानसकितता महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिये एक बड़ी बाधा है।
- **मीडिया द्वारा वस्तुकरण:** मीडिया चर्चिण अक्सर महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करता है, उनकी स्वायत्तता को कम करता है और ऐसी संस्कृति में योगदान देता है जो महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना करती है। यह वस्तुकरण हानिकारक रूढ़ियों तथा सामाजिक दृष्टिकोणों को मज़बूत करता है।
- **वलिंबति न्याय और कानूनी चुनौतियाँ:** धीमी कानूनी प्रक्रिया और मृत्यु दंड का अनयिमति प्रावधान पीड़ितों के लिये आघात को बढ़ाता है। मृत्युदंड की प्रभावशीलता के बारे में चल रही चर्चा के साथ ही समय पर न्याय मलिना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
- **जागरूकता और शकिसा का अभाव:** अपर्याप्त यौन शकिसा और सहमति तथा लगी संवेदनशीलता के बारे में चर्चा हानिकारक रूढ़ियों एवं अज्ञानता को बनाए रखती है, जसिसे प्रभावी हस्तकषेप में बाधा आती है।
- **बुनयादी ढाँचा और सुरक्षा उपाय:** खराब रोशनी वाली सड़कें, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की कमी महिलाओं की भेद्यता को बढ़ाती है। बुनयादी ढाँचे तथा सुरक्षा उपायों में सुधार आवश्यक है।

आगे की राह

- **व्यापक कानूनी ढाँचा:** भारतीय दण्ड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिये सज़ा को मज़बूत करने की आवश्यकता है, स्टॉकगि, साइबर हेरेसमेंट और घरेलू हिंसा के लिये विशेष कानून लागू करने की आवश्यकता है तथा त्वरित न्याय हेतु विशेष न्यायालयों व पुलिस इकाइयों की स्थापना करनी चाहिये।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** न्यायमूर्ति विरमा समिति की सफारिश के अनुसार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करें और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों के लिये सजा बढ़ाएँ।
 - न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतनिधित्व बढ़ाएँ।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन:** स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक समानता शकिसा को एकीकृत करने, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली सामुदायिक पहलों का समर्थन करने तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व नरिणय लेने में भागीदारी हेतु नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
- **प्रभावी कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली:** पुलिस के लिये लगी-संवेदनशील प्रशकिसण प्रदान करें, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिये विशेष इकाइयाँ बनाएँ तथा पीड़ित सहायता केंद्र स्थापित करें।
- **बुनयादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी:** सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को उन्नत करने, सार्वजनिक कषेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा ऐप तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।
- **सशक्तीकरण और जागरूकता:** महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शकिसति करने और हिंसा की रिपोर्टगि को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाएँ तथा महिला संगठनों का समर्थन करें ताकि उनके प्रयासों को मज़बूती से प्रचारित कया जा सके।

दृष्टि भिन्स प्रश्न:

कानूनी सुरक्षा के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ हिसा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। ऐसे अपराधों की उच्च दरों में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये और इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नपिटने के लिये व्यापक सुधारों पर वचिर कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिसा के बढ़ते मामलों को देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से नपिटने के लिये कुछ नवीन उपाय सुझाएँ। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/west-bengal-aprajita-anti-rape-bill>

